फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :– २०४/2022

बद्रीनारायण बनाम केसरलाल

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 4.11.2024 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अमित बाहेती हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 की ओर से एडवोकेट सत्यप्रकाश पारीक हाजिर। अप्रार्थी संख्या 7, 11 की ओर से एडवोकेट राजेन्द्र चोहान हाजिर। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 10, 13, 18 लगायत 24 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नही, अतः अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 10, 13, 18 लगायत 24 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।<br>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है।<br>अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाऐ रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चाकसू (जयपुर) | |